


राजस्थान सरकार



# राजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक...५३/नॉर्मेड/...2009-2010

यह प्रमाणित किया जाता है कि

..... जिला ..... का राजस्थान संस्था राजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत राजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक ..... माह ..... में दिया गया।

राजिस्ट्रीकरण कार्यालय ..... को ..... में दिया गया।

राजिस्ट्रीकरण संस्था



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

## सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

### कार्यकारिणी की सूची / EXECUTIVE COMMITTEE LIST

पं. संख्या / REG. NO.- 2009-2010/43

दिनांक / DATE- 09-08-2024

**THE GLOBAL MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SANSTHA KUCHAMAN CITY** जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 ( राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958 ) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था की परिवर्तित कार्यकारिणी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा- 4 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसे संस्था के रिकॉर्ड में संधारित किया जाता है।











**THE GLOBAL MANAGEMENT AND TECHNOLOGY SANSTHA KUCHAMAN CITY DISTRICT Didwana-Kuchaman** IS A REGISTERED INSTITUTION UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 ( RAJASTHAN ACT NUMBER 28, 1958 ) . THE CHANGED EXECUTIVE COMMITTEE OF THE INSTITUTION IS SUBMITTED BEFORE THE UNDERSIGNED UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 SECTION- 4 ( 1 ) WHICH IS FILED IN THE SOCIETY'S RECORD.

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
1		Banwari Lal Pachar	MALE	PRESIDENT		20/06/1979
2		Barji Devi	FEMALE	member		01/01/1951
3		Haraki Devi Devena	FEMALE	member		06/09/1970
4		Manju Devi	FEMALE	member		08/06/1984
5		Mohani	FEMALE	member		01/01/1951

Signature valid

Digitally signed by Ganga Ram Godara  
Designation : REGISTRAR  
Date: 2024.08.09 11:35:43 IST  
Reason: Approved  
Location: Didwana-Kuchaman



Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
6		Nand Kishore Devna	MALE	vice chairman		07/08/1967
7		Rameshvar	MALE	member		01/01/1956
8		Rohit Bijarniya	MALE	member		02/12/2004
9		Santra Pachar	FEMALE	member		15/05/1984
10		Shashi Bala	FEMALE	member		15/07/1982
11		Sohani	FEMALE	member		01/01/1956
12		Sohani Devi	FEMALE	member		25/06/1986
13		Sultan Singh Thalor	MALE	SECRETARFY		08/06/1982
14		Sunil Dewna	MALE	member		01/01/1994
15		Sunil Kumar Bijarniya	MALE	tresurar		01/10/1980

नोट- इसे रजिस्ट्रार द्वारा शासी निकाय / GOVERNING BODY की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जावे ।



**Signature valid**

Digitally signed by Ganga Ram Godara  
 Designation : REGISTRAR  
 Date: 2024.08.09 11:55:43 IST  
 Reason: Approved  
 Location: Didwana Kuchaman

(9)

(9)

संस्था का नाम:- द ग्लोबल मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी संस्थान कुचामन सिटी

रजि. क्रमांक :- 43/नागौर/2009-2010 दिनांक:-25.06.2009

### तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

आम सभा की बैठक दिनांक 10.04.2013 मे पारित संशोधन

क. सं.	विधान की धारा	पंजीकृत विधान	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)
1.	संस्था का नाम :-	इस संस्था का नाम:- द ग्लोबल मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी संस्थान, कुचामन सिटी था।	संस्था का नाम:- द ग्लोबल मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी संस्थान, कुचामन सिटी ही रहेगा।
2.	पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय:- ग्रा. कुचामन सिटी, तह. कुचामन सिटी, जिला नागौर तथा इसका कार्यक्षेत्र - समस्त राजस्थान तक सीमित था।	कार्यालय:- ग्रा. कुचामन सिटी, तह. कुचामन सिटी जिला नागौर कार्यक्षेत्र-समस्त राजस्थान तक सीमित रहेगा।
3.	संस्था के उद्देश्य-	1. शिक्षा का प्रसार करना	यथावत
		2. ग्रामीण एवं असहाय छात्र-छात्राओं को शिक्षित करना।	यथावत
		3. ग्रामीण छात्र/छात्राओं का मानसिक विकास करना	यथावत
		4. सभी छात्र/छात्राओं का शिक्षा के द्वारा समूचित विकास करना	यथावत
		5. शिक्षा द्वारा मानसिक एवं शारीरिक विकास करना।	यथावत
		6. शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास करना।	यथावत
		7. क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी की कक्षाओं का आयोजन करवाना।	यथावत
		8. चिकित्सा शिविरों का आयोजन तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए विद्यालय व महाविद्यालयों व अस्पतालों का निर्माण संचालन करवाना।	यथावत
		9. पशु कल्याण का बढ़ावा देने के लिए विकलांग एवं आवारा पशुओं की चिकित्सा तथा आवास व्यवस्था करवाना।	यथावत

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

*Ramkumar S.C.*  
अध्यक्ष अध्यक्ष

*Sul*  
सचिव

*19/3*  
कोषाध्यक्ष

ग्लोबल मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी संस्थान  
कुचामन सिटी (नागौर)

रजि. क्रमांक :- 43/नागौर/2009-2010  
दिनांक :- 25.06.2009

कोषाध्यक्ष

		10. पशुपालन विद्यालय एवं पशुचिकित्सा व पशुविज्ञान महाविद्यालय का निर्माण एवं संचालन करवाना।	यथावत
		11. उच्च शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायिक तकनीकी इंजीनियरिंग एवं दुरस्त शिक्षा संस्थानों का निर्माण एवं संचालन करवाना।	यथावत
		12. स्वास्थ्य शिक्षा एवं योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योग शिविरों का आयोजन करवाना।	यथावत
		13. देश सेवा के लिए युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा करना व सैनिक शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना।	यथावत
		14. समाज कल्याण के लिए वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, अनाथालय एवं असहाय लोगों के लिए आवास, भोजन एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान करवाना।	यथावत
		<b>नवीन—</b>	15. विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करना।
		16. सभी वर्ग व जाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए शैक्षणिक, प्रामाणिक, सांस्कृतिक, शारीरिक विकास की चेतना, जागृति करते हुए शिक्षा की व्यवस्था करना, जिससे भविष्य में सुसंस्कृति और सुयोग्य नागरिक बन सके।	
		17. बच्चों के लिए पल्स पोलियो अभियान, टीकाकरण, एडस नियन्त्रण के प्रचार-प्रसार एवं सभाओं का आयोजन करना।	

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

*Bansal*  
अध्यक्ष

*Sul*  
सचिव

कोषाध्यक्ष

4/1/13  
द ग्लोबल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन  
कुलपति (नगर)

19-6-2013 का

उपरोक्त संशोधन

विद्यार्थी संजीव

राजस्थान संस्थाएं  
भागौर

			18. छात्र-छात्राओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योग प्रशिक्षण उपलब्ध कराना होगा ।
			19. महिलाओं ,बच्चों, पिछड़े वर्गों विकलांगों, नैत्रहीनों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना एवं जनजागृती पैदा करना तथा संचित वर्ग को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना ।
			20.संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु जानकारी देना एवं बचाव के उपाय बताना ।
			21.बाल-विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज व अन्य सामाजिक कुरितियों के प्रति जन-चेतना पैदा करना ।
			22. सरकारी गैर सरकारी विदेशी दानदाताओं बैंक वित्तीय संस्थानों एवं अन्य ऋण प्रदान करने वाली एजेन्सीयों से ऋण,कर्ज, दान अनुदान आदि हासिल करना एवं जिस उद्देश्य के लिए आदि हासिल की है उससे परियोजना संचालित करना ।
			23.समाज में पशुधन विकास के क्षेत्र में कार्य करना । एवं पशुधन सहायक कोर्स संचालित करना एवं अन्य वेटनरी, एनिमल हसबेन्ड्री शिक्षा के डिप्लोमा का संचालन करना एवं इससे सम्बन्धित महाविद्यालयों की स्थापना ।
सम्बन्धित विद्यालय	सहायक	19-6-2013 को संज्ञित	24. सरकार द्वारा प्रायोजित महिला एवं बाल विकास, सर्व शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना ।
		संज्ञित सहायक	25.कम्प्युटर शिक्षा का प्रसार-प्रचार करना कम्प्युटर शिक्षा केन्द्र स्थापित करना, प्रशिक्षण देना ।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है ।

Banwan  
अध्यक्ष

Sill  
सचिव

कोषाध्यक्ष

सहायक

(12)

संस्था का नाम:- द ग्लोबल मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी संस्थान कुचामन सिटी

रजि. क्रमांक :- 43 / नागौर / 2009-2010 दिनांक:-25.06.2009

संघ विधान पत्र

आम सभा की बैठक दिनांक 10.04.2013 मे पारित संशोधन

क. सं.	विधान की धारा	पंजीकृत विधान	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)
1.	संस्था का नाम :-	इस संस्था का नाम:- द ग्लोबल मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी संस्थान, कुचामन सिटी था।	संस्था का नाम:- द ग्लोबल मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी संस्थान, कुचामन सिटी ही रहेगा।
2.	पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय:- ग्रा. कुचामन सिटी, तह. कुचामन सिटी, जिला नागौर तथा इसका कार्यक्षेत्र - समस्त राजस्थान तक सीमित था।	कार्यालय:- ग्रा. कुचामन सिटी, तह. कुचामन सिटी जिला नागौर कार्यक्षेत्र-समस्त राजस्थान तक सीमित रहेगा।
3.	संस्था के उद्देश्य-	1. शिक्षा का प्रसार करना	यथावत
		2. ग्रामीण एवं असहाय छात्र-छात्राओं को शिक्षित करना।	यथावत
		3. ग्रामीण छात्र/छात्राओं का मानसिक विकास करना	यथावत
		4. सभी छात्र/छात्राओं का शिक्षा के द्वारा समूचित विकास करना	यथावत
		5. शिक्षा द्वारा मानसिक एवं शारीरिक विकास करना।	यथावत
		6. शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास करना।	यथावत
		7. क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी की कक्षाओं का आयोजन करवाना।	यथावत
		8. चिकित्सा शिविरों का आयोजन तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए विद्यालय व महाविद्यालयों व अस्पतालों का निर्माण संचालन करवाना।	यथावत
		9. पशु कल्याण का बढ़ावा देने के लिए विकलांग एवं आवारा पशुओं की चिकित्सा तथा आवास व्यवस्था करवाना।	यथावत

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

*Banwale*  
अध्यक्ष

द ग्लोबल मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी संस्थान  
कुचामन सिटी (नागौर)

सचिव

द ग्लोबल मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी संस्थान  
कुचामन सिटी (नागौर)

कोषाध्यक्ष

द ग्लोबल मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी संस्थान  
कुचामन सिटी (नागौर)

		10. पशुपालन विद्यालय एवं पशुचिकित्सा व पशुविज्ञान महाविद्यालय का निर्माण एवं संचालन करवाना।	यथावत
		11. उच्च शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायिक तकनीकी इंजीनियरिंग एवं दूरस्त शिक्षा संस्थानों का निर्माण एवं संचालन करवाना।	यथावत
		12. स्वास्थ्य शिक्षा एवं योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योग शिविरों का आयोजन करवाना।	यथावत
		13. देश सेवा के लिए युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा करना व सैनिक शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना।	यथावत
		14. समाज कल्याण के लिए वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, अनाथालय एवं असहाय लोगों के लिए आवास, भोजन एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान करवाना।	यथावत
		<b>नवीन-</b>	15. विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करना।
			16. सभी वर्ग व जाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए शैक्षणिक, प्रामाणिक, सांस्कृतिक, शारीरिक विकास की चेतना, जागृति करते हुए शिक्षा की व्यवस्था करना, जिससे भविष्य में सुसंस्कृति और सुयोग्य नागरिक बन सके।
			17. बच्चों के लिए पल्स पोलियो अभियान, टीकाकरण, एडस नियन्त्रण के प्रचार-प्रसार एवं सभाओं का आयोजन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

*Banwarsil*  
अध्यक्ष

*Sul*  
सचिव

कोषाध्यक्ष

तस्मात्

			18. छात्र-छात्राओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योग प्रशिक्षण उपलब्ध कराना होगा ।
			19. महिलाओं, बच्चों, पिछड़े वर्गों विकलांगों, नैत्रहीनों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना एवं जनजागृती पैदा करना तथा संचित वर्ग को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना ।
			20. संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु जानकारी देना एवं बचाव के उपाय बताना ।
			21. बाल-विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज व अन्य सामाजिक कुरितियों के प्रति जन-चेतना पैदा करना ।
			22. सरकारी गैर सरकारी विदेशी दानदाताओं बैंक वित्तीय संस्थानों एवं अन्य ऋण प्रदान करने वाली एजेन्सीयों से ऋण, कर्ज, दान अनुदान, राशि हासिल करना एवं जिस उद्देश्य के लिए राशि हासिल की है उससे परियोजना संचालित करना ।
			23. समाज में पशुधन विकाश के क्षेत्र में कार्य करना । एवं पशुधन सहायक कोर्स संचालित करना एवं अन्य वेटनरी, एनिमल हसबेन्ड्री शिक्षा के डिप्लोमा का संचालन करना एवं इससे सम्बन्धित महाविद्यालयों की स्थापना ।
संस्था	19-6-2013	की	24. सरकार द्वारा प्रायोजित महिला एवं बाल विकास, सर्व शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना ।
उपनिवेश			25. कम्प्यूटर शिक्षा का प्रसार-प्रचार करना कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र स्थापित करना, प्रशिक्षण देना ।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है ।

अध्यक्ष

*Banwari*

सचिव

*Sul*

कोषाध्यक्ष

*5/6/13*

*संस्था*

*संस्था*

संस्था का नाम:- द ग्लोबल मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी संस्थान कुचामन सिटी

रजि. क्रमांक :- 43/नागौर/2009-2010 दिनांक:-25.06.2009

### विधान नियमावली

आम सभा की बैठक दिनांक 10.04.2013 मे पारित संशोधन

क. सं.	विधान की धारा	पंजीकृत विधान	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)
1.	संस्था का नाम :-	इस संस्था का नाम:- द ग्लोबल मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी संस्थान, कुचामन सिटी था।	संस्था का नाम:- द ग्लोबल मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी संस्थान, कुचामन सिटी ही रहेगा।
2.	पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय:- ग्रा. कुचामन सिटी, तह. कुचामन सिटी, जिला नागौर तथा इसका कार्यक्षेत्र - समस्त राजस्थान तक सीमित था।	कार्यालय:- ग्रा. कुचामन सिटी, तह. कुचामन सिटी जिला नागौर कार्यक्षेत्र-समस्त राजस्थान तक सीमित रहेगा।
3.	संस्था के उद्देश्य-	1. शिक्षा का प्रसार करना	यथावत
		2. ग्रामीण एवं असहाय छात्र-छात्राओं का शिक्षित करना।	यथावत
		3. ग्रामीण छात्र/छात्राओं का मानसिक विकास करना	यथावत
		4. सभी छात्र/छात्राओं का शिक्षा के द्वारा समूचित विकास करना	यथावत
		5. शिक्षा द्वारा मानसिक एवं शारीरिक विकास करना।	यथावत
		6. शिक्षा द्वारा सर्वांगीण विकास करना।	यथावत
		7. क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को प्रबंधन व सूचना प्रौद्योगिकी की कक्षाओं का आयोजन करवाना।	यथावत
		8. चिकित्सा शिविरों का आयोजन तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए विद्यालय व महाविद्यालयों व अस्पतालों का निर्माण संचालन करवाना।	यथावत
		9. पशु कल्याण का बढ़ावा देने के लिए विकलांग एवं आवारा पशुओं की चिकित्सा तथा आवास व्यवस्था करवाना।	यथावत

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष

Banwale

सचिव

Sul

कोषाध्यक्ष

कुंज

सिखा

द ग्लोबल मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलोजी संस्थान  
कुचामन सिटी (नागौर)

	10. पशुपालन विद्यालय एवं पशुचिकित्सा व पशुविज्ञान महाविद्यालय का निर्माण एवं संचालन करवाना।	यथावत
	11. उच्च शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यवसायिक तकनीकी इंजीनियरिंग एवं दुरस्त शिक्षा संस्थानों का निर्माण एवं संचालन करवाना।	यथावत
	12. स्वास्थ्य शिक्षा एवं योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योग शिविरों का आयोजन करवाना।	यथावत
	13. देश सेवा के लिए युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा करना व सैनिक शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना।	यथावत
	14. समाज कल्याण के लिए वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, अनाथालय एवं असहाय लोगों के लिए आवास, भोजन एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान करवाना।	यथावत
	<b>नवीन—</b>	15. विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की व्यवस्था करना।
	19-6-2013	16. सभी वर्ग व जाति के बालक एवं बालिकाओं के लिए शैक्षणिक, प्रामाणिक, सांस्कृतिक, शारीरिक विकास की चेतना, जागृति करते हुए शिक्षा की व्यवस्था करना, जिससे भविष्य में सुसंस्कृति और सुयोग्य नागरिक बन सके।
	संस्था संस्थाएं जागौर	17. बच्चों के लिए पल्स पोलियो अभियान, टीकाकरण, एडस नियन्त्रण के प्रचार-प्रसार एवं सभाओं का आयोजन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष *Banwars*  
अध्यक्ष

द ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी संस्थान  
कुचासन सिटी (नागौर)

सचिव *sub*  
सचिव

द ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी संस्थान  
कुचासन सिटी (नागौर)

कोषाध्यक्ष *Sharma*  
कोषाध्यक्ष

द ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी संस्थान  
कुचासन सिटी (नागौर)

			18. छात्र-छात्राओं का शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योग प्रशिक्षण उपलब्ध कराना होगा ।
			19. महिलाओं, बच्चों, पिछड़े वर्गों विकलांगों, नैत्रहीनों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना एवं जनजागृती पैदा करना तथा संचित वर्ग को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना ।
			20. संक्रामक बीमारियों से बचाव हेतु जानकारी देना एवं बचाव के उपाय बताना ।
			21. बाल-विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज व अन्य सामाजिक कुरितियों के प्रति जन-चेतना पैदा करना ।
			22. सरकारी गैर सरकारी विदेशी दानदाताओं बैंक वित्तीय संस्थानों एवं अन्य ऋण प्रदान करने वाली एजेन्सीयों से ऋण, कर्ज, दान अनुदान राशि हासिल करना एवं जिस उद्देश्य के लिए राशि हासिल की है उससे परियोजना संचालित करना ।
			23. समाज में पशुधन विकास के क्षेत्र में कार्य करना । एवं पशुधन सहायक कोर्स संचालित करना एवं अन्य वेटनरी, एनिमल हसबेन्ड्री शिक्षा के डिप्लोमा का संचालन करना एवं इससे सम्बन्धित महाविद्यालयों की स्थापना ।
प्रस्था	मे दिनांक	19-6-2013 को	
उपनिवेश	संस्था	संस्था	
विद्यालय	पंजीकरण	संस्था	
			24. सरकार द्वारा प्रायोजित महिला एवं बाल विकास, सर्व शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना ।
			25. कम्प्यूटर शिक्षा का प्रसार-प्रचार करना कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र स्थापित करना, प्रशिक्षण देना ।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है ।

अध्यक्ष

*Banwanil*

सचिव

*Sul*

कोषाध्यक्ष

*कोषाध्यक्ष*

द ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी १५५/१  
कुचामन सिटी (नागौर)

द ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी १५५/१  
कुचामन सिटी (नागौर)

4.सदस्यता:-	निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:- 1-संस्था के कार्यक्षेत्र में निवास करते हों। 2-बालिग हों। 3-पागल,दीवालिये न हों। 4-संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों। 5-संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो।	नवीन-  यथावत
5.सदस्यों का वर्गीकरण:-	संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :- 1- संरक्षक 2- विशिष्ट 3- सम्मानिय 4- साधारण ( जो लागू न हो,उसे काट दीजिये )	यथावत
6.सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :-	उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :- 1-संरक्षक राशि 151 / वार्षिक 2-विशिष्ट राशि 151 / वार्षिक 3-सम्मानिय राशि 151 / वार्षिक 4-साधारण राशि 75 / वार्षिक उक्त राशि एक मुस्त की दर से जमा कराई जा सकेगी।	यथावत रखते हुए 4-साधारण राशि 2000 / वार्षिक उक्त राशि एक मुस्त की दर से जमा कराई जा सकेगी।
7.सदस्यता से निष्कासन :-	संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :- 1-मृत्यु होने पर 2-त्याग-पत्र देने पर 3-संस्था के उद्देश्यों के विपरित कार्य करने 4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर। उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।	यथावत

19-6-2013  
अध्यक्ष संस्थाएं  
नागौर

अध्यक्ष

Banwanil

मंत्री / सचिव

कोषाध्यक्ष

संस्था का नाम: (साधारण सभा)  
नागौर

कोषाध्यक्ष (साधारण सभा)  
नागौर

8. साधारण सभा:-	संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।	यथावत
9. साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य:-	साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :- 1- प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना। 2- वार्षिक बजट पारित करना। 3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना। 4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। ( जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा। )	यथावत
10. साधारण सभा की बैठक :-	1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगा। 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थागित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थागित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।	यथावत
11. कार्यकारिणी का गठन:-	5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित में आवेदन करने पर अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त वैधानिक व सर्वमान्य होंगे। संस्था के कार्य को सुचारु रूप से सलाने के लिए एक कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :- 1. अध्यक्ष-एक 2. सचिव-एक 3. कोषाध्यक्ष-एक 4. उपाध्यक्ष-एक 5. सदस्य-ग्यारह इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 4 पदाधिकारी व 11 सदस्य कुल 15 सदस्य होंगे।	यथावत

अध्यक्ष

19-6-20  
अध्यक्ष  
रामवन्द

मन्त्री/सचिव

कोषाध्यक्ष

ग्लोबल नेगेजिंग एण्ड टेक्नोलॉजी ए.ए.ए.ए.  
कुचामन सिटी (नागौर)

रा. (या. 5)

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन:-	1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा। 2- चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा। 3- चुनाव अधिकारी की नियुक्त प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।	यथावत
13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य:-	संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे :- 1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना। 2- वार्षिक बजट तैयार करना। 3-संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना। 4-वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना। 5-साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना। 6-कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना। 7-अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।	यथावत
14. कार्यकारिणी की बैठक :-	1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2-बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संस्था के आधे से अधिक होगा। 3-बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है। 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थागित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थागित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारिणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थागित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।	यथावत

19-6-2013  
उपनिध  
विधान

संस्था  
बागौर

अध्यक्ष  
अध्यक्ष

मंत्री / सचिव

कोषाध्यक्ष

द ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी (नए) सस्थान  
कुचामन सिटी (नागौर)

द ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी सस्थान  
कुचामन सिटी (नागौर)

(नए)

<p>15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-</p>	<p>संस्था की पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे :-</p> <p><b>1- अध्यक्ष :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- बैठकों की अध्यक्षता करना।</li> <li>2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।</li> <li>3- बैठकें आहूत करना।</li> <li>4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।</li> <li>5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।</li> </ol> <p><b>2- उपाध्यक्ष :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।</li> <li>2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।</li> </ol>	<p>यथावत</p>
<p>19-6-2013</p> <p>संस्था प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :-</p>	<p><b>3- मन्त्री :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- बैठक आहूत करना।</li> <li>2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।</li> <li>3- आय व्यय पर नियन्त्रण करना।</li> <li>4- वैतनिक कर्मचारियों की नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।</li> <li>5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।</li> <li>6- पत्र व्यवहार करना।</li> <li>7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।</li> </ol> <p><b>4- उपमन्त्री :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।</li> <li>2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी / मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।</li> </ol> <p><b>5- कोषाध्यक्ष :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।</li> <li>2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।</li> <li>3- चन्दा / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।</li> <li>4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।</li> </ol>	<p>यथावत</p>

संस्था प्रबन्धकारिणी  
काठी

अध्यक्ष

मन्त्री / सचिव

कोषाध्यक्ष

संस्था

16. संस्था का कोष :-	संस्था का कोश निम्न प्रकार संचित होगा :- 1- चन्दा 2- शुल्क 3- अनुदान 4- सहायता 5- राजकीय अनुदान 1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी। 2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।	यथावत
17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :-	संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :- 1- अध्यक्ष 500 रु. 2- मन्त्री 500 रु. 3- कोषाध्यक्ष 251 रु. उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।	संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :- 1- अध्यक्ष 1,00,000 रु. 2- मन्त्री 80,000 रु. 3- कोषाध्यक्ष 50,000 रु. उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकारिणी द्वारा की जायेगी।
18. संस्था का अंकेक्षण :-	संस्था के समस्त लेखों-जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाएँ को प्रस्तुत करने होंगे।	यथावत
19. संस्था के विधान में परिवर्तन :-	संस्था के विधान में आव यतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।	यथावत 19-6-2013 का उपनिर्देश संस्थाओं के अंकेक्षण विषय में 22 रजिस्ट्रार संस्थाएँ जयपुर

अध्यक्ष Banwanid

16/6/13

मन्त्री/सचिव

कोषाध्यक्ष

द ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड टेक्नोलॉजी (इन्फॉर्मेशन) प्राइवेट लिमिटेड (जयपुर)

20. संस्था का विघटन :-	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाएं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।	यथावत
21. संस्था के समस्त लेखे-जोखे का निरीक्षण :-	रजिस्ट्रार संस्थाएं नागौर को संस्था के रेकार्डों का निरीक्षण व जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।	यथावत 19-6-2013 को रजिस्ट्रार संस्थाएं नागौर

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) द ग्लोबल  
मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी संस्थान, कुचामन सिटी की  
सही व सच्ची प्रति है।

अध्यक्ष  
द ग्लोबल मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी संस्थान  
कुचामन सिटी (नागौर)

मंत्री / सचिव

कोषाध्यक्ष  
द ग्लोबल मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी संस्थान  
कुचामन सिटी (नागौर)

राजस्थान संस्थाएं अधिनियम 1958 की धारा 19 के अन्तर्गत यह  
प्रमाणित किया जाता है कि यह पत्रादि संस्था के संबंध में प्रस्तुत किये गए  
पत्र, जो कार्यालय की पत्रावली में पृष्ठ सं. 83 से 110 तक उपलब्ध हैं, सही व सच्ची प्रति हैं।

प्रमाणित प्रति दिनांक 19-6-2013  
रजिस्ट्रार संस्थाएं, नागौर

आयकर विभाग  
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार  
GOVT. OF INDIA

THE GLOBAL MANAGMENT &  
TECHNOLOGY SANSTHAN



25/06/2009

Permanent Account Number

AACAT4179N

07052011